छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा दशम् सत्र अंक-09

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 मार्च, 2021

(फाल्गुन 13, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 6 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अरुण वोरा के स्थान पर श्री मोहन मरकाम, सदस्य अधिकृत रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने उनके द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी विशेषाधिकार भंग की सूचना विचाराधीन है ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा, विकासखण्ड अकलतरा अंतर्गत न्यूवोको विस्टास संयंत्र द्वारा रैन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले में कृषकों की निजी भूमि पर विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाईन बिछाने के लिये क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

5. पृच्छा

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, सदस्य ने सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो हाथी ने घुसकर ग्राम मलदा की एक बुजुर्ग महिला एवं ग्राम गुढ़ियारी के 22 साल के युवा को मार डालने के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया एवं पीड़ित परिवार के लिये मुआवजे की मांग की ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने आश्वस्त किया कि अधिकारियों को बोलकर जो भी सहायता हो सकती है, निश्चित ही करायेंगे और मुआवजा भी करायेंगे ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री प्रकाश शक्राजीत नायक सदस्य की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

7. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2021 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 01)	श्री सत्यनारायण शर्मा	45 मिनट
2. (क्रमांक - 05)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
3. (क्रमांक - 03)	श्री देवेन्द्र यादव	15 मिनट
4. (क्रमांक - 02)	श्री धर्मजीत सिंह	45 मिनट
5. (क्रमांक - 15)	श्री आशीष कुमार छाबड़ा	15 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने लोक निर्माण कार्य -सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 76, पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल

विभाग से संबंधित मांग संख्या 5, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51 एवं पर्यटन विभाग से संबंधित मांग संख्या 37 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-24 पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चंद्रा, सौरभ सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-67** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, धर्मजीत सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री केशव प्रसाद चंद्रा, **मांग संख्या-3** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-4** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, **मांग संख्या-5** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, **मांग संख्या-51** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-37** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, सौरभ सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से बाहर गये ।)

श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री ननकीराम कंवर, (अनुपस्थित), श्री धर्मजीत सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर, (अनुपस्थित), डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्री नारायण चंदेल, (अनुपस्थित), श्री आशीष कुमार छाबड़ा, श्री सौरभ सिंह, (अनुपस्थित), श्रीमती छन्नी चंदू साहू, श्री केशव प्रसाद चंद्रा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, (अनुपस्थित), श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष (अनुपस्थित), श्री बृहस्पत सिंह, श्रीमती संगीता सिन्हा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक,

श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या-22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या-69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-81 एवं श्रम से संबंधित मांग संख्या-18 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-22 पर श्री धर्मजीत सिंह, मांग संख्या-81 पर श्री धर्मजीत सिंह, एवं मांग संख्या-18 पर श्री केशव प्रसाद चंद्रा सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, केशव प्रसाद चंद्रा

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री देवेन्द्र यादव, प्रकाश शक्राजीत नायक, डॉ.विनय जायसवाल, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा,

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 06.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2021 (फाल्गुन 14, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा